न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना-पत्र संख्या :–272/2023
GCMS NO:- 2023/424

दायर दिनांक– 25.10.2023
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

मोहनलाल आ0 हरपाल जाति बैरवॉ नि0 रूपवास तहसील उनियारा।

प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111, 128, 136 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव मे खसरा नम्बर 3406/1553, 3408/1555 व 3410/1556 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6311 हैक्टयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर आसपास के पडौस के व्यक्ति प्रार्थी की भूमि की सीमाओं को लेकर आये दिन विवाद करते रहते है। पहले प्रार्थी ने सीमाज्ञान का आदेश फरमाया था लेकिन पुलिस इमदाद नही होने से सीमाज्ञान नही हो सका। आस पास के व्यक्ति सीमाज्ञान नही करने देते है इस कारण पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी की प्रति पेश कर धारा 111, 128, 136 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

हमने पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 01 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम बामनगांव मे खसरा नम्बर 3406/1553, 3408/1555 व 3410/1556 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6311 हैक्टयर पर प्रार्थी का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवा